संख्या:-68-दो-(1)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2004

प्रेषक,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग: देहरादून :दिनांक 25 अक्टूबर, 2004

विषय: जजशिप बागेश्वर में न्याय विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 46-दो(1)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 9 जून, 2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जजशिप बागेश्वर में न्याय विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 25809000/- के आगणन के विपरीत स्वीकृति हेतु अवशेष रु0 15809000/- के विपरीत रुपये 50,00,000/-(रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(2) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।

(3) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

(4) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(5) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में आवंटित न की जाय । उक्त स्वीकृति में साज सज्जा की मदें सम्मिलित नहीं है ।

(6) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(7) कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुये इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.3.2005 तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा ।

(9) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार तीन बराबर किश्तों मे ही किया जायेगा ।

(11) धन का कोषागार से आहरण यथा द्विमासिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा । एक किश्त के 80 प्रतिशत धन उपयोग मे आने के बाद ही दूसरी किश्त का आहरण किया जायेगा और उपरोक्त धनराशि के 80 प्रतिशत उपभोग एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण देने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

2- इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय- 60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01-न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण (50 प्रतिशत केन्द्रांश)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1619/वित्त अनुभाग-3/2004, दिनांक 20, अक्टूबर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या-68-दो-(1)(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तरांचल,माजरा, देहरादून ।
2. जनपद न्यायाधीश, बागेश्वर ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर ।
4. मुख्य अभियन्ता, जोन-1 लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
6. श्री एल० एम० पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन ।
7. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी. ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)
अपर सचिव ।